

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या - 06/2024  
जीसीएमएस संख्या - 2024/11

अपीलान्त :-

1. मांगीलाल पुत्र गोमाराम
2. टेलाराम पुत्र गोमाराम
3. अमलखराम पुत्र सताराम
4. खिंवराराम पुत्र सताराम
5. अनोपाराम पुत्र सताराम
6. तुलछीदेवी पत्नी गोमाराम फौत (डिलीट आदेश दिनांक 10.12.2024)  
जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम गंगानगर (लुम्बानसर), तहसील शेरगढ़,  
जिला जोधपुर।

बनाम



रेस्पोंडेन्ट्स :-

1. पेम्पों पत्नी मंगलाराम फौत (डिलीट आदेश दिनांक 10.12.2024)
2. देवाराम पुत्र मंगलाराम के कायम मुकाम :-
  - 2/1. स्वरूपाराम पुत्र देवाराम
  - 2/2. आईदानराम पुत्र देवाराम (नाबालिग जरिए कुदरती वली माता धनीदेवी पत्नी देवाराम)
  - 2/3. धनीदेवी पत्नी देवाराम  
सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण ग्राम गंगानगर (लुम्बानसर),  
तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
  - 2/4. ज्योति पत्नी नेमाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सेखाला, तहसील  
सेखाला, जिला जोधपुर।
  - 2/5. तारों पत्नी ढलाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सेखाला, तहसील  
सेखाला, जिला जोधपुर।
  - 2/6. रसाल पत्नी पुरखाराम, जाति मेघवाल, निवासी कुई, तहसील बालेसर,  
जिला जोधपुर।
  - 2/7. जमना पत्नी भोमाराम, जाति मेघवाल, निवासी बिराई, तहसील बालेसर,  
जिला जोधपुर।
3. मोडाराम पुत्र मंगलाराम
4. नरुराम पुत्र मंगलाराम
5. सुगनोदेवी पत्नी सवाईराम, जातियान् मेघवाल, निवासीगण ग्राम गंगानगर  
(लुम्बानसर), तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़, तहसील शेरगढ़, जिला  
जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर



अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध  
बंटवाड़ा आदेश क्रमांक 1589 दिनांक 31.05.2008 जो तहसीलदार  
(भू0आ0) शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी व पुष्पेन्द्रसिंह भाटी (अपीलान्ट्स की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री पी0 आर0 मेघवाल (रेस्पोंड संख्या 2/1 से 4 की ओर से)।



नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.02.2025

1. अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 53(2) के तहत इकरारनामा के आधार पर प्रकरण संख्या 1589/2008 में पारित विभाजन आदेश दिनांक 31.05.2008 से व्यथित होकर इस न्यायालय में दिनांक 04.08.2020 को पेश की है। अपील के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु म्याद अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थागण को अपना पक्ष पेश करने हेतु नोटिस जारी किए गए, जिस पर प्रत्यर्था संख्या 2/1 से 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता पी0 आर0 मेघवाल ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्था संख्या 5 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे है।
3. प्रकरण के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट संख्या 1, 2 एवं 6 व प्रत्यर्था संख्या 1, 2, 3, 4 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम लुम्बानसर में खसरा नम्बर 794 रकबा 28-08 बीघा तथा खसरा नम्बर 834 रकबा 7-09 बीघा कुल 35-17 बीघा आई हुई थी। उक्त आराजी का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार शेरगढ़ के समक्ष अन्तर्गत धारा 53(2) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 दिनांक 15.05.2008 को पेश कर निम्नानुसार विभाजन करने की सहमति प्रदान की -
  1. पेम्यों पत्नी मंगलाराम, देवाराम, मोडाराम, नरूराम पिता मंगलाराम - खसरा नम्बर 794 रकबा 17-19 बीघा

अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

2. मांगीलाल, टेलाराम पिता गोमाराम, मु0 तुलछी पत्नी गोमाराम - खसरा नम्बर 794 में से 10-09 बीघा तथा खसरा नम्बर खसरा नम्बर 834 का सम्पूर्ण रकबा 7-09 बीघा कुल 17 बीघा 18 बिस्वा

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के आधार पर तहसीलदार शेरगढ़ ने आदेश क्रमांक 1589 दिनांक 31.05.2008 को आदेश पारित कर रिकॉर्ड में अमल-दरामद करने के आदेश पटवारी हल्का को दिए।

4. अपीलान्ट ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील पेश कर कथन किया है कि तहसीलदार का आदेश विधि प्रावधानों के विरुद्ध है क्योंकि प्रत्येक खसरा में से भूमि दोनों पक्षों को नहीं दी है तथा प्रस्ताव मौके पर भौतिक कब्जा के अनुसार नहीं है तथा प्रस्ताव पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर/अंगूठे धोखे व मिलीभगत से करवाये गए हैं तथा प्रस्ताव के संलग्न नक्शे अनुसार नामान्तरकरण की प्रति परत पर अंकित तरमीम नक्शा सही नहीं है।

5. अपीलान्ट का यह भी कथन है कि उक्त अवैध बंटवारा की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट पुश्तैनी मकानों में कब्जे अनुसार निवासरत है परन्तु रेस्पोजेन्ट्स द्वारा उन्हें बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलान्ट्स ने तहसीलदार शेरगढ़ को तरमीम करने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.07.2020 देने पर हुई। मौका कब्जा व नक्शों की तरमीम में भारी अन्तर है। इसके बाद बंटवारा की नकल प्राप्त कर यह अपील पेश की है, जिसे अन्दर म्याद मानकर अपील स्वीकार की जावे तथा आदेश दिनांक 31.05.2008 को निरस्त किया जावे व मौका कब्जा व मीट्स एवं बारुण्ड्स के आधार पर रास्ता छोड़ते हुए विभाजन किया जावे।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि बंटवारा मौके पर कब्जा अनुसार नहीं है। प्रत्येक खसरा का बराबर विभाजन नहीं किया है। बंटवारा इकरारनामा पर सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर नहीं हैं नियम-18 से 21 तक की पालना नहीं की गई है, रास्ते का प्रावधान नहीं किया है, मौके पर ढाणियां बनी हुई है, गलत तरमीम से हमारी ढाणियां प्रत्यर्थी के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 794 में आ रही है। अपीलान्ट्स अनपढ़ है। बंटवारा एवं बेचान रजिस्ट्री एक ही दिन हुए हैं। अपीलान्ट्स व रेस्पोजेन्ट्स ने रास्ता हेतु राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना-पत्र पेश किया है।

  
अपर जिला क्लर्क (प्रथम)  
जोधपुर

7. प्रत्यर्थांगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि समस्त सहखातेदारों ने अपने-अपने कब्जे काश्त अनुसार आपसी सहमति से बंटवारानामा पर सहमति देकर हस्ताक्षर/अंगूठे किए हैं। चारों खसरों के बीच में सड़क है। एक तरफ अपीलान्ट्स को तथा दूसरी तरफ रेस्पोडेन्ट्स को भूमि दी है। बंटवारा के समय माठ पर से जाने की सहमति दी थी। यदि दोनों खसरों का विभाजन किया जाता है, तो रेस्पोडेन्ट्स के घर प्रभावित होंगे। किसी खातेदार को भूमि कम-ज्यादा नहीं दी है। एक पक्ष को 17-19 बीघा तथा दूसरे पक्ष को 17-18 बीघा भूमि बंट में दी है तथा भूमि की किस्म का पूरा ध्यान रखा गया है। बंटवारा 2008 में हुआ तथा अपील 2020 में पेश की है, इसका कोई कारण नहीं बताया है। अपीलान्ट्स मांगीलाल वगैरा ने भूमि का बेचान किया है। धारा 5 के प्रार्थना-पत्र में दिए गए कारण संतोषजनक नहीं हैं। अपील म्याद बाहर होने से ग्रहण योग्य ही नहीं है अतः म्याद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य है तथा बंटवारा दिनांक 31.05.2008 को यथावत रखा जावे तथा अपील खारिज की जावे।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भलीभांति अध्ययन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौरानें बहस पर पूर्ण विद्वत्पूर्ण तर्कों व कथनों पर गंभीरता से मनन कर विश्लेषण किया।

हमारा विवेचन इस प्रकार है :-

(A) ग्राम लुम्बानसर का खसरा संख्या 794 रकबा 28-08 बीघा तथा खसरा नम्बर 834 रकबा 7-09 बीघा कुल 35-17 बीघा भूमि पेम्पोदेवी, देवाराम, मोडाराम, नरुराम 1/2 हिस्सा तथा मांगीलाल, टेलाराम, तुलछीदेवी के नाम खातेदारी में दर्ज थीं, उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवारा करने हेतु एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार शेरगढ़ के समक्ष राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 53(2) के तहत मय 100 रूपये के स्टाम्प पर इकरारनामा दिनांक 15.05.2008 को पेश हुआ। इस इकरारनामा पर पेम्पों, देवाराम, मोडाराम, नरुराम, मांगीलाल, टेलाराम व तुलछी के हस्ताक्षर/अंगूठा है तथा इनकी पहचान तुलसाराम एडवोकेट द्वारा की गई है तथा उक्त इकरारनामा को तहसीलदार ने प्रमाणित किया है तथा पटवारी/आई0 एल0 आर0 की जांच रिपोर्ट के बाद आदेश क्रमांक 1589/31-05-2008 से इकरारनामा व संलग्न नक्शानुसार रिकॉर्ड में अमल-दरामद करने के आदेश दिए हैं जिसकी पालना में ग्राम लुम्बानसर का नामान्तरकरण संख्या 137 दिनांक 07.07.2008 को

  
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत किया है तथा खसरा नम्बर 794 में से 17-19 बीघा भूमि पेम्पोदेवी वगैरा के नाम तथा खसरा नम्बर 794 की शेष 10-09 भूमि (खसरा नम्बर 794/1) एवं खसरा संख्या 834 की सम्पूर्ण भूमि मांगीलाल वगैरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड की। नामान्तरकरण की प्रति परत के पीछे खसरा नम्बर 794 को दो भागों में खसरा नम्बर 794 व 794/1 विभाजित कर दिखाया है, जो इकरारनामा के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप है तथा इकरारनामा में अंकित शर्तों अनुसार ही तहसीलदार ने प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं, जिसे वह राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 के तहत स्वीकृत करने के लिए बाध्य है तथा भूमि का विभाजन भी बहिस्सा बराबर किया है।

(B) नियमों में प्रत्येक खसरों का बराबर हिस्सों में बांटकर विभाजन करने का कोई प्रावधान नहीं है तथा हमारी राय में यह उचित भी नहीं है क्योंकि उक्त नियमों के नियम 20 में दी गई व्यवस्थाओं का भी विभाजन के वक्त ध्यान में रखना है। प्रत्येक खसरे का विभाजन करने से भारी अव्यवस्था एवं काश्तकारों को आवागमन में परेशानी होगी। किसी भूखण्ड का खसरा नम्बर दिया जाने के भी नियम है, जो रिकॉर्ड के संधारण के लिए दिए जाते हैं जिनका भूमि के विभाजन में हक निर्धारण से कोई तालुक नहीं है अतः अपीलान्ट के इस तर्क से सहमत नहीं है कि प्रत्येक खसरे का विभाजन होना चाहिए परन्तु हमारी मान्यता है कि विभाजन के समय प्रत्येक काश्तकार को यथासंभव एक जगह कॉम्पैक्ट (Compact) भू भाग मिले ताकि उसे काश्त करने में सुविधा रहे तथा यथासंभव खेतों को हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए। इस प्रकरण में खसरा नम्बर 794 को दो हिस्सों में मजबूरन बांटना पड़ा, क्योंकि रकबे की पूर्ति करने के लिए ऐसा आवश्यक था तथा अपीलान्ट स्वयं को खसरा नम्बर 834 का पूरा रकबा 7-09 बीघा दिया गया है। खसरा नम्बर 834 के दो टुकड़े करने का कोई औचित्य नहीं है।

(C) इसके अतिरिक्त अपीलान्ट्स स्वयं ने रेस्पोंडेन्ट्स अधिवक्तानुसार अपने बंट में आई भूमि में से भूमि बेचान की है तथा तृतीय पक्षकार के पक्ष में हितों का सृजन किया है। अब अगर विधिवत् रूप से आपसी सहमति से किए गए बंटवारे को 16 साल बाद निरस्त किया जाता है, तो इससे वाद बाहुल्यता



  
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

बढ़ेगी, जिसके लिए अपीलान्ट्स स्वयं अपने कृत्यों व आचरण से विबंधित (Estopped) है।

(D) अपीलान्ट्स ने इकरारनामा पर मिलीभगत कर धोखे से खाली पेपर पर अंगूठे/हस्ताक्षर करवाकर उपयोग लिए जाने का भी अभिकथन किया है, परन्तु अपीलान्ट्स ने सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त आरोप की पुष्टि करने बाबत् पारित कोई विनिश्चय हमारे समक्ष पेश नहीं किया है, क्योंकि आपसी सहमति से किया गया इकरारनामा - भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 से शासित होता है, तथा धोखे से, छल कपट, दुर्व्यपदेशन (misrepresentation) इत्यादि आधार पर किए गए करारों को शून्य या शून्यकरणीय घोषित करने का अधिकार मात्र सिविल कोर्ट को ही है। अपील मीमों में धोखे का आरोप लगाने मात्र से यह न्यायालय अपीलाधीन इकरारनामा को निरस्त करने में सहमत नहीं है। अपीलान्ट्स ने यह भी कथन किया है कि इकरारनामा पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर/अंगूठा नहीं है। हमने मूल पत्रावली पर उपलब्ध मूल इकरारनामा को देखा, उस पर तत्समय के सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर है तथा श्री तुलसाराम एडवोकेट ने उनकी पहचान की है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है तथा उसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती है एवं यथावत रखने योग्य है।



हमने अपील प्रेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में अंकित अभिवचनों का अध्ययन किया। जिसमें लिखा है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2008 की उन्हें जानकारी नहीं थी तथा सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.07.2020 को हुई, तब हुई जब उक्त खसरो की तरमीम रोकने हेतु आवेदन किया तथा बंटवारा की नकल लेकर यह अपील पेश की है। अपीलान्ट्स का उक्त आधार कर्तई मानने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलान्ट्स स्वयं ने दिनांक 15.05.2008 को तहसीलदार शेरगढ़ के न्यायालय में उपस्थित होकर बंटवारा हेतु प्रार्थना-पत्र मय इकरारनामा पेश किया जिस पर अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट्स स्वयं अपने हिस्से में आई भूमि में से भूमि जरिए बेचान रेस्पॉडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस दी गई जानकारी अनुसार हस्तान्तरण किया है। इस तथ्य को अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित नहीं

  
अपर जिला कलेक्टर (अभ्युक्त)  
जोधपुर

किया है। इस प्रकार देरी को क्षमा करने के सारभूत व विशेष तथ्यों से साबित नहीं किया है तथा मात्र अपील को अन्दर म्याद सुमार करने के लिए ही दिनांक 10.07.2020 की तिथि का सहारा काल्पनिक रूप से अंकित किया है। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 317/2025 (H. Guruswamy & ors v/s. A. Krishnaiah) में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2025 में अभिमत दिया है कि "Court must not start with merit of the case. First ascertain the bonafides of the explanation offered by the party seeking condonation. own inaction for a long, it cannot be presumed to be non deliberate delay, It is must to prevent dilatory tactics. Liberal approach, Justice oriented approach, and Substantial justice, should not be employed to frustrate or jettison the Substantial law of Limitation. It shows "Complete absence of judicial conscience and restraint.



Issue of Limitation is not merely a technical consideration, but is based on sound Public policy and equity. 'Sword of Democles' cannot be kept hanging over the head of a litigant for an indefinite period of time.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई उपर्युक्त व्यवस्था इस प्रकरण में पूर्णतः लागू होती है। दिनांक 15.05.2008 को अपीलान्त स्वयं ने उपस्थित होकर इकरारनामा निष्पादित कर तहसीलदार शेरगढ़ के समक्ष पेश किया, जिसके आधार पर ही आदेश क्रमांक:LR/1589 दिनांक 31.05.2008 जारी हुआ। उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 137 दिनांक 07.07.2008 को पारित हुआ तथा रिकॉर्ड में अमल-दरामद कियो तथा अपीलान्ट्स ने कुछ भूमि हस्तान्तरित भी कर दी। अब 17 साल बाद उक्त बंटवारा की जानकारी दिनांक 10.07.2020 को बताकर दिनांक 04.08.2020 को यह अपील पेश करना किसी भी दृष्टि से अन्दर म्याद नहीं मानी जा सकती।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने देरी को क्षम्य करने के समर्थन में (a)AIR 1987 S. C. 1353 (कलक्टर, भूमि आवाप्ति बनाम कटीजी में पारित निर्णय

  
अपर जिला कलक्टर (अभ्यन्तरी)  
जोधपुर

का पैरा 3 बी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें न्यायालयों को Liberal Approach अपनाने की सलाह दी है।

(b) इसके अतिरिक्त 1998 RRD 319 (Urban Improvement Trust v/s Poonam chand) में दी गई व्यवस्था की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया कि जब तक प्रकरण गुणावगुण पर बिल्कुल ही नहीं टिके, तब तक उसे मेरिट पर सुनना चाहिए।

(c) इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता ने 2004 (1) RRT 374 में पारित निर्णय (प्रेमचन्द बनाम कमलाबाई व अन्य) के पैरा 8, 11 की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने यह व्यवस्था दी है कि धारा 5 के तहत प्रार्थना-पत्र को खारिज करने से पूर्व न्यायालयों को अपील के गुणावगुण पर पूर्व शर्त के रूप में विचार करना जरूरी है और जब तक अपील एकदम गुणहीन नहीं पाई जावे, सामान्यतः अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने के प्रयास किये जाने चाहिये।

(d) हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त चीनों नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया, तो यह पाया कि अगर अपील मेरिट के आधार मजबूत है, तो उसे मात्र अपील पेश करने में हुई देरी के आधार पर अपील खारिज नहीं की जानी चाहिए, परन्तु अगर अपील एकदम गुणहीन (meritless) हैं तो उसे म्याद के बिन्दु पर खारिज किया जा सकता है।



10. उपर्युक्त विवेचनानुसार गुणावगुण के आधारों पर भी अपील स्वीकार योग्य नहीं है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत व नियमानुसार है एवं उसमें किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य है तथा तहसीलदार द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना यह न्यायालय न्यायोचित नहीं समझता है। अतः अपीलान्ट द्वारा म्याद कन्डोन करने में Liberal Approach में अपनाने पर भी अपीलान्ट को कोई अनुतोष मेरिट पर भी नहीं दिया जा सकता तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नवीनतम उपरोक्त निर्णय दिनांक 08.01.2025 में दी गई व्यवस्था से हम पूर्णरूप से सहमत हैं।


11. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार योग्य है।

अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

आदेश

अतएवं अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन, बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार शेरगढ़ को तुरन्त लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील संख्या में शामिल की जावें।



  
(जवाहर चौधरी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अपर जिला जोधपुर (प्रथम)  
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 27.02.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(जवाहर चौधरी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अपर जिला जोधपुर (प्रथम)  
जोधपुर